कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 913 /11–सी– **FP/UP/Other/20350/2016**, लखनऊः दिनांकः अक्टूबर 25 ,2016

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 वन प्रभाग,
बाराबंकी।

विषयः– जनपद–बाराबंकी में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्राम–ककरी, तहसील–हैदरगढ़ के गाटा संख्या–749 एन0एच0–731 (पुराना एन0एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग पर किमी0 176–177 के मध्य दायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.1674 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद का पत्रांक–1262/14–10, दिनांक– 19.10.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव की ऑन–लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 संलग्न नहीं है।
2. प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि के बदले दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, जो स्वीकार्य नही है। अतः प्रभावित संरक्षित वनभूमि के बदले 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन वर्तमान दर व Cast escalation सहित संशोधित कर संलग्न करे।
3. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।
4. ईको–क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना, जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।
5. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु ग्राम सभा, उप जिला स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति की कार्यवाही संलग्न नहीं है, मूल में संलग्न करें अथवा भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 28.10.2014 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
6. गजट नोटिफिकेशन की छाया प्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रमाणित नहीं है।
7. प्रस्ताव की ऑन–लाइन, भाग–1 व हार्ड कापी के भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।
8. प्रस्ताव के ऑन–लाइन व हार्ड कापी में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल भिन्न–भिन्न अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑन–लाइन के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न सभी अभिलेखों में क्षेत्रफल को संशोधित करें।
9. प्रस्ताव का ऑन–लाइन, भाग–2 कमांक–5 व 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड है, संशोधित करें।

उपरोक्त पाई गई कमियॉं से यह विदित होता है कि प्रस्ताव का बिना भली–भांति परीक्षण किये ही इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः प्रस्ताव का भली–भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाये, जिससे कि आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 913 /11–सी– **FP/UP/Other/20350/2016**, दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2– वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0 प्लाट नं0–1, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ।

25/10/16

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।